

प्रेषक,

डा० अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ०प्र० लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 14 जुलाई, 2017

विषय:-निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों द्वारा संचालित बी०डी०एस० पाठ्यक्रम की शुल्क निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ०प्र० निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-4 (1) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल पाठ्यक्रमों हेतु फीस नियमन के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-2808/16-1-2014-5 (डब्ल्यू-48), दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में प्रवेश और फीस नियमन समिति का गठन किया गया है।

2- उ०प्र० निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) में शुल्क निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं:-

10-(1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी-

(एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप

(दो) उपलब्ध अवसंरचना

(तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिए आवश्यक समुचित बचत

(चार) प्रशासन एवं अनुरक्षण पर व्यय

(पाँच) संस्था के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय

(छः) कोई अन्य सुसंगत कारक

(2) समिति कोई फीस निर्धारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाय मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिए नहीं होगी।

3- उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) में उल्लिखित प्राविधानों तथा धारा-10(1) (छः) में पूर्व में फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित किए गये निम्नलिखित मानदण्डों को संज्ञान में लेते हुए शुल्क निर्धारित किए जाने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया:-

- (i) आर्थिक उपयोगी जीवन Useful Economic Life) को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अधिनियम-2013 द्वारा निर्धारित ह्रास की दरें ही मेडिकल कालेज की सम्पत्तियों के संबंध में अनुमन्य की जायेगी।
- (ii) वर्ष 2016-17 की Audited Balance Sheet के आधार पर वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 का आंकलन 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष Inflation की दर पर किया जाना औचित्यपूर्ण पाया गया। तदनुसार Inflation की दर के आधार पर वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 की फीस का निर्धारण किया जाना उचित होगा। यह Inflation की दर केवल Variable Cost (वेतन, भत्ते आदि आवर्ती व्यय) पर ही अनुमन्य कराया गया है।
- (iii) Fixed Asset पर मात्र SLM (Straight Line Depreciation Method) के आधार पर Depreciation ही अनुमन्य कराया गया है।
- (iv) जहाँ UG & PG Courses दोनों संचालित हैं एवं उनका लेखा पृथक नहीं है, वहाँ व्यय 70:30 UG:PG का अनुपात रखा गया। जिन कालेजों में Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित हैं एवं लेखा पृथक नहीं है, उनके कुल व्यय का 10 प्रतिशत भाग Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित करते हुए व्यय में से उक्त 10 प्रतिशत की धनराशि को अनुमन्यता से घटा दिया गया है।
- (v) समिति द्वारा विचारोपरांत यह विनिश्चय किया गया कि भविष्य में बढ़ती मँहगाई के कारण होने वाली सम्भावित व्यय वृद्धि को विचार में रखते हुए शुल्क ढाँचा का निर्धारण किया जाना उपयुक्त होगा। अतः संस्था के कुल व्यय भार में से आपरेटिंग कास्ट पर वर्तमान में प्रचलित Inflation की दर के आधार पर 07 प्रतिशत के हिसाब से आगामी 02 वर्षों तक का औसत मूल्य निकालकर शुल्क निर्धारण हेतु संज्ञान में लिया गया।
- (vi) समिति ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी आफ एजुकेशन बनाम स्टेट आफ कर्नाटक मामले में आब्जर्वेशन के अनुसार निजी संस्थाओं को विकास दर 06 से 15 प्रतिशत के मध्य रखने के आधार पर संस्था के भविष्य में विकास एवं सुधार हेतु 10 प्रतिशत की दर से धनराशि की व्यवस्था शुल्क ढाँचे में करना औचित्यपूर्ण माना गया।
- (vii) जिन संस्थाओं द्वारा वर्ष 2015-16 की ऑडिटेड बैलेन्स शीट के साथ प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था, उन संस्थाओं को 07 प्रतिशत Inflation की दर को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2015-16 की बैलेन्स

शीट के आधार पर 07 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त वृद्धि तथा अनुपातिक विकास शुल्क को समाहित करते हुए शुल्क की गणना किये जाने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया।

4- निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों द्वारा संचालित बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम की फीस निर्धारित किये जाने हेतु प्रस्ताव/निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित कालेजों के चेयरमैन/प्रधानाचार्यों से उपलब्ध कराने की अपेक्षा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं सदस्य सचिव, फीस नियमन समिति के पत्र दिनांक 31.05.2017, 08.06.2017, 17.06.2017, 27.06.2017, 05.07.2017 एवं 08.07.2017 द्वारा की गयी।

5- फीस नियमन समिति द्वारा उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (2) के अन्तर्गत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से सम्बन्धित संस्थाओं के प्रतिनिधियों को दिनांक 14.06.2017 की बैठक में आमंत्रित किया गया।

6- फीस नियमन समिति की बैठक दिनांक 13.07.2017 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुतियों के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त शैक्षणिक सत्र 2017-2018, 2018-2019 एवं 2019-2020 के लिए निम्नलिखित डेण्टल कालेजों के सम्मुख अंकित शुल्क निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र०सं	संस्था का नाम	प्रति छात्र/प्रतिवर्ष निर्धारित किये जाने वाला शुल्क (धनराशि रू० लाख में)
1	के०डी० डेण्टल कालेज, मथुरा।	3.14
2	सरस्वती डेंटल कालेज, लखनऊ।	2.80
3	रामा डेण्टल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, कानपुर।	2.90
4	स्कूल ऑफ डेण्टल साइंसेज, ग्रेटर नोएडा।	3.65
5	श्री बांके बिहारी डेंटल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, गाजियाबाद।	3.60
6	चन्द्रा डेण्टल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बाराबंकी।	1.37
7	इंस्टीट्यूट आफ डेण्टल स्टडीज एण्ड टेक्नोलॉजी,	3.36

	मोदीनगर, गाजियाबाद।	
8	इन्द्रप्रस्थ डेंटल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, गाजियाबाद।	1.66
9	इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइंसेज, बरेली।	3.48
10	कोठीवाल डेंटल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, मुरादाबाद।	3.65
11	कालका डेंटल कालेज एण्ड हास्पिटल, मेरठ।	1.81
12	बाबू बनारसी दास कालेज आफ डेंटल साइंसेज, लखनऊ।	1.37
13	सुभारती डेंटल कालेज, मेरठ।	1.37

7- उक्त तालिका के क्रमांक-1 से 3 तक अंकित डेंटल कालेजों द्वारा वर्ष 2016-17 की ऑडिटेड बैलेन्स शीट के आधार पर प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था, अतः तदनुसार ऑडिटेड बैलेन्स शीट के आधार पर शुल्क निर्धारित किया गया है। तालिका के क्रमांक-4 से 11 तक अंकित 08 डेंटल कालेजों द्वारा वर्ष 2015-16 की ऑडिटेड बैलेन्स शीट के आधार पर प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया, तदनुसार वर्ष 2015-16 की ऑडिटेड बैलेन्स शीट के आधार पर 07 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त वृद्धि तथा आनुपातिक विकास शुल्क को समाहित करते हुये शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त तालिका के क्रमांक-12 व 13 पर अंकित 02 डेंटल कालेजों द्वारा कोई भी प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया, अतः समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में इन संस्थाओं का शुल्क न्यूनतम निर्धारित शुल्क के आधार पर निर्धारित किया गया है।

8- निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित हैं। सम्बन्धित डेंटल कालेज निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र है।

9- उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क की सूचना वेबसाइट <https://upneet.gov.in> एवं www.updgm.in पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 शासन द्वारा तत्काल प्रदर्शित करायी जायेगी। सम्बन्धित डेंटल कालेजों द्वारा भी अपनी अधिकृत वेबसाइट पर निर्धारित शुल्क को प्रदर्शित किया जायेगा। शुल्क निर्धारण सम्बन्धी प्रश्नगत आदेश का अनुपालन कड़ाई से कराया जाय।

भवदीया,


(डा0 अनिता भटनगर जैन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-2468(1)/71-2-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
2. सचिव, डेण्टल काउंसिल आफ इण्डिया, कोटला रोड, नई दिल्ली।
3. निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ।
4. निजी सचिव, मा० चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उ०प्र० शासन।
5. निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा, उ०प्र० शासन।
6. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बासैमण्डी चौराहा, लखनऊ।
7. समस्त प्रबंधक/प्रधानाचार्य, सम्बन्धित डेण्टल कालेज द्वारा महानिदेशक, चि०शि० एवं प्रशि० उ०प्र०, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।